वित्तीय स्वीकृति (2015-16)

संख्या-1/2015/एस0ई0-254/दस-2015-आ-13/2014

प्रेषक,

राज रतन,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 07 अप्रैल, 2015

विषयः-अनुदान संख्या-65 के अंतर्गत आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय के लिए वर्ष 2015-16 के व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1/925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्ष-"2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-095-लेखा तथा खजाना निदेशालय-03-आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय से सम्बन्धित आवश्यकताओं के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 46975 हजार (रूपये चार करोड़ उन्हत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित प्रतिबंधों/निर्देशों के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्ष/मद

"2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन
-095-लेखा तथा खजाना निदेशालय
03-आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय'

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि (हजार रूपये में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए स्वीकृत धनराशि
01- वेतन	17000
02- मजदूरी	350
03- मंहगाई भत्ता	20400
04- यात्रा व्यय	600
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	75
06- अन्य भत्ते	2600
07- मानदेय	30
08- कार्यालय व्यय	800
09- विद्युत देय	300
10- जलकर/जल प्रभार	50
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	200
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	300
13- टेलीफोन पर व्यय	130
14- मोटर गाड़ियों का क्रय	-
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	600
17- किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व।	70
22- आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	100
29- अनुरक्षण	600
42- अन्य व्यय	100
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	500
45- अवकाश यात्रा व्यय	100
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	1000
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	250
49- चिकित्सा व्यय	800
51- वर्दी व्यय	20
योग	46975

(रूपये चार करोड़ उनहत्तर लाख पचहत्तर हजार)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों व नवीनतम शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2004, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जाय ताकि अपव्यय को रोका जा सके।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उपर्युक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जहां भी नियमों के अंतर्गत शासन की स्वीकृति आवश्यक हो, धनराशि व्यय करने से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति आवश्यक हो, धनराशि व्यय करने से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाय।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65 के उपरोक्तानुसार अंकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक संगठनों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(राज रतन)
अनु सचिव।

संख्या-1/2015/एस0ई0-254(1)/दस-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा परीक्षा अनुभाग)।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज रतन)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।